105
06.08.16

समाहरणालय, दरभंगा
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

आ दे श

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ शाखाओं से संचिकाएं वरीय प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से नहीं भेजकर सीधे अधोहस्ताक्षरी को भेजी जा रही है, जो सरकारी कार्यों के निष्पादन संबंधी स्वस्थ परम्परा के प्रतिकूल है। यह भी देखा गया है कि अनेक महत्वपूर्ण पत्र ससमय कार्यालय सहायक/प्रधान सहायक द्वारा उपस्थापित नहीं किये जा रहे हैं। यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग आदि से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रों, जिसमें समय निर्धारित होता है, उसे भी विलम्ब से उपस्थापित किया जा रहा है, जो घोर आपत्तिजनक है। यह भी देखा जा रहा है कि सामान्य किस्म की संचिकाएं पूर्व की भांति कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से नहीं भेजकर सीधे अधोहस्ताक्षरी को उपस्थापित की जा रही हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया जाता है कि :-

1. सभी शाखाओं के प्रधान सहायक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में प्राप्त सभी महत्वपूर्ण पत्र अधिकतम 3 कार्य दिवस के अन्दर एवं सामान्य पत्र अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर निष्पादन हेतु अपने शाखा के वरीय उप समाहर्त्ता के समक्ष उपस्थापित हो जाय।
2. सभी शाखा के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता/प्रधान सहायक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अधोहस्ताक्षरी को उपस्थापित की जाने वाली सभी संचिकाएं शाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से ही उपस्थापित किये जायं।
3. समाहरणालय सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी संचिकाएं कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से हीं अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित हों।

सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता/जिला के अन्य विभागीय पदाधिकारी/कार्यालय अधीक्षक उपरोक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या 2874/सी0, लहेरियासराय, दिनांक 05 वीं अगस्त, 2016 ।

प्रतिलिपि समाहरणालय के सभी शाखा के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी/कार्यालय अधीक्षक/प्रधान सहायकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, दरभंगा/अपर समाहर्त्ता, दरभंगा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/जिला अवर निबंधक/ उत्पाद अधीक्षक/जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी/अन्य संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5.8.16
जिलाधिकारी,
दरभंगा।